न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या **51/2023** अन्तर्गत धारा 183, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. आनन्दराज पुत्र मगराज 2. कुसुमलता पुत्री मगराज 3. भुवनेश जैन पुत्र मगराज 4. लक्ष्मणराज पुत्र मगराज 5. सुशिलादेवी पत्नी मगराज जाति महाजन, निवासी शिव हाल निवासी बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर		1. श्रवणसिंह पुत्र सोहनसिंह 2. रेवंतसिंह पुत्र सोहनसिंह 3. भोजराजसिंह पुत्र सोहनसिंह 4. रतनसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपुत, निवासी कोटड़ियों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :– वादीगण अधिवक्ता – श्री बृजमोहन कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 02.07.2025

वादीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा शिव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 436, 437, 438 रकबा क्रमशः 13.1846, 0.0486, 0.0405 हैक्टेयर के आये हुए है। जिस पर वादीगण का निरन्तर कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है। वादीगण व उनका परिवार महाजन समुदाय से होने से व्यापारिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वादीगण का निवास अस्थाई रूप से रहता है। वादीगण की उक्त आराजी के सेढा सेढ ही प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि आयी हुई। उक्त सेढा को लेकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हर समय विवाद रहता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा कर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। वादीगण के शांतिप्रिय एवं व्यापारी वर्ग से होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण, वादीगण की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण कर अपना पुख्ता कब्जा करने पर आमादा है। वादीगण द्वारा जब प्रतिवादीगण को ऐसा करने से मना किया तो इससे प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी में जबरदस्ती व बलपूर्वक प्रवेश कर उसे बेदखल करने की धमकियां दी गई। वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी भी करवाई हुई है, जिसमें प्रतिवादीगण का अतिक्रमण होना बताया गया है तथा वर्तमान में प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर वादीगण की खातेदारी में से कब्जा हटाने से इंकार कर दिया गया है। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उक्त विवादित आराजी के वादीगण रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके पर काबिज काश्त है। अतः वादीगण द्वारा उक्त वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में किये गये जबरन अतिक्रमण को हटाया जाकर उन्हे बेदखल करते हुए विवादित आराजी का कब्जा वादीगण को दिलवाने तथा वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करने बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है।

वाद पंजीयन कर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के वावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में की गई [illegible] मौका फर्द व संलग्न नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के नक्शा में चिन्ह A, B, C, D, P, Q, R, S के मध्य की भूमि पर खसरा नम्बर 423 के खातेदारान प्रतिवादीगण द्वारा करीब 4.10 बीघा भूमि पर कब्जा होना पाया गया है।

वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में वादी [illegible] में साक्ष्य स्वरूप वादीनी संख्या 2 व 5 द्वारा अपने–अपने बयान शपथ पत्र पेश किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:07:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद को स्वीकार कर वादीगण की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये विधि विरूद्ध अतिक्रमण को जब्त करते हुए कब्जा वादीगण को दिलवाने तथा वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं किये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया।

हमने वादीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये विधि विरूद्ध अतिक्रमण को हटाकर मौके पर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलवाने का निवेदन किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में की गई नेखमबंदी की मौका फर्द व नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के नक्शे के बिन्दु संख्या A, B, C, D, P, Q, R, S के मध्य की भूमि पर खसरा नम्बर 423 के खातेदारान् द्वारा करीब 4.10 बीघा भूमि पर कब्जा होना साबित है। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अनुस्थित रहे है। वादीनी संख्या 2 व 5 द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश कर वादीगण के खातेदारी खेत से प्रतिवादीगण का कब्जा व अति क्रमण हटाने के लिए दावा पेश किया है। अतः उक्त स्थिति में वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण किया हुआ साबित होने पर वादीगण अपनी खातेदारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के विधिक अधिकारी होने से वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी भूमि मौजा शिव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 436, 437, 438 रकबाक्रमशः 13.1846, 0.0486, 0.0405 हैक्टेयर में भूमि की पैमाईश हेतु राजस्व टीम का गठन कर पैमाईश करने हेतु तहसीलदार शिव को निर्देशित किया जाता है, साथ ही विवादित आराजी में प्रतिवादीगण का अतिक्रमण व कब्जा पाया जाने पर नियमानुसार अतिक्रमण हटाया जाकर बेदखली की कार्यवाही करते हुए कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते है। आवश्यकता होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना शिव से पुलिस इमदाद प्राप्त की जावें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 02.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:07:26 IST
Reason: SelfAttested